न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डोईवाला, जिला देहरादून।
आपराधिक वाद सं0–881/2022
सी0जी0नं0–439/2022
राज्य बनाम सुशील कुमार।

मु0अ0सं0–305/2022
अं0धारा–380 व 411 भा0द0सं0
थाना–डोईवाला, जिला देहरादून।

दिनांक–01–11–2022

निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र

प्रार्थी/अभियुक्त सुशील कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र, मु0अ0सं0 305/2022, अन्तर्गत धारा 380 व 411 भा0द0सं0 के अपराध में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त सुशील कुमार जिला कारागार, देहरादून में निरूद्ध है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र, इस आशय के अभिवाक् के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने उक्त वाद में दर्शित अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त दिनांक 03.09.2022 से जिला कारागार, देहरादून में निरूद्ध है। अभियुक्त दौराने वाद उपरोक्त वाद में अपनी जमानत कराना चाहता है तथा न्यायालय के आदेश पर जमानती व बंधपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः याचना की गयी है कि अभियुक्त को दौराने वाद जमानत पर रिहा किया जाये।

3– इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा आख्या दी गयी है कि, **''महोदय उक्त जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम प्रार्थना पत्र है।''**

4– इस सम्बन्ध में विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री हरजीत कौर द्वारा आख्या दी गयी है कि, ***''महोदया प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का प्रार्थी सुशील थाना डोईवाला के मु0अ0सं0 305/22 में दिनांक 03.9.22 से अं0धा0 380, 411 आईपीसी में न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त से दौराने गिरफ्तारी वादी की साईकिल बरामद हुई थी। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अजमानतीय प्रकृति का है। अतः जमानत का विरोध किया जाता है।''***

5– जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री हरजीत कौर को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 380 व 411 भा0द0सं0 का अभियोग है। अभियुक्त दिनांक 03.09.2022 से जिला कारागार, देहरादून में निरूद्ध है। मामले में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है तथा कोई विवेचना शेष नहीं है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत, गुण–दोष पर, कोई राय व्यक्त किये बगैर अभियुक्त को सशर्त जमानत पर, रिहा किए जाने के पर्याप्त आधार हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सुशील कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 380 व 411 भा0द0सं0 के अन्तर्गत मु0 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो सक्षम प्रतिभू न्यायालय के समक्ष पेश करने पर, इस शर्त के साथ कि **(1)** वह निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा **(2)** वह ऐसा कोई अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग है, कोई अपराध नहीं करेगा **(3)** वह इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा तथा न्यायालय आदेशों का अनुपालन करेगा, जमानत की शर्तों का उल्लंघन नही करेगा, दौराने वाद, जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक–01–11–2022

(मीनाक्षी दुबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डोईवाला।